

21-12-25

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 में पेश हुई। प्रार्थी ममता अरोडा द्वारा उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 की भावना से प्रार्थीया ममता अरोडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एलआर.एक्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट हो चुकी है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की अनुसंशा की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर चक 4 जैड, पटवार हलका 4 जैड के खाता संख्या 176/168 में प्रार्थीया ममता अरोडा पत्नी किरन अरोडा हिस्सा पूर्ण जाति अरोडा निवासी आर.एस.एच 24 रिद्धि सिद्धि फर्स्ट श्रीगंगानगर के आगे खातेदार अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अभिलेखित करे।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला दाखिल अभिलेखागार हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
श्रीगंगानगर

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
श्रीगंगानगर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)